रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/96 Registered No. DL-33001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 1997/माघ 5, 1918
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 1997/MAGHA 5, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1997

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय के वायु सेना खण्ड में समूह "ग" और समूह "घ" गैर-योधक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (वायु सेना खन्ड, गैर-योधक समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरम्भिक गठन :—उक्त, अनुसूची में दर्शित ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व भर्ती/नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन नियमित आधार पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त प्रकाशन से पूर्व उस पद पर उनके द्वारा की गई सेवा, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता विनिश्चित करने के लिए संगणित की जाएगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1996

सा.का.नि. 56.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी समूह "क" भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी समूह "क" भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी समूह "क" भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में उप-निदेशक प्रशासन के पद से संबंधित क्रम सं. 14 के सामने, स्तंभ-12 में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्रोन्नति

'आकाशवाणी/दूरदर्शन में ऐसा लेखा निरीक्षक (2375-3500 रुपये के वेतनमान) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर लेखा निरीक्षक और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (2000-3500 रुपये वेतनमान) की श्रेणियों में कुल मिलाकर आठ वर्ष नियमित सेवा की है और दोनों के न हो सकने पर ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या

(2) जिन्होंने 2200-4000 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या

(3) जिन्होंने 2000-3500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव है।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उस या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची

उप-निदेशक प्रशासन के पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप-निदेशक प्रशासन	13* (1996) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
	परिवर्तन किया जा सकता है। आकाशवाणी : 6 दूरदर्शन : 7					

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दिशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : आकाशवाणी/दूरदर्शन में ऐसा लेखा निरीक्षक (2375–3500 रु. वेतनमान), जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर लेखा निरीक्षक और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (2000–3500 रु. वेतनमान) की श्रेणियों में कुल मिलाकर आठ वर्ष नियमित सेवा की है और दोनों के न हो सकने पर ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) :— (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, प्रसारण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य (3) महानिदेशक, आकाशवाणी—सदस्य। (4) महानिदेशक, दूरदर्शन—सदस्य।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 32013/17/95-बी(ए)]

बलदेव सिंह रावत, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम जिसे आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 कहा गया है, सा.का.नि.सं. 24 तारीख 23-12-1963 द्वारा अधिसूचित किये गये थे तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किये गये :

1. अधिसूचना संख्या 11/8/62-बी (ए), तारीख 9-6-1964
2. अधिसूचना संख्या 11/11/62बी (ए), तारीख 18-6-64, सा.का.नि. संख्या 924 तारीख 27-6-64
3. अधिसूचना संख्या 5/24/62 बी(ए), तारीख 31-8-65, सा.का.नि. संख्या 1314 तारीख 11-9-65
4. अधिसूचना संख्या 11/2/64-बी (ए), तारीख 17-9-65 सा.का.नि.सं. 1487 तारीख 9-10-65
5. अधिसूचना संख्या 11/2/64-बी (ए), तारीख 27-11-65 सा.का.नि.सं. 1820 तारीख 11-12-1965
6. अधिसूचना संख्या 13/78/62-बी (ए), तारीख 30-11-1965 सा.का.नि.सं. 1873 तारीख 25-12-1965
7. अधिसूचना संख्या 11/8/64-बी (ए), तारीख 29-5-67 सा.का.नि.सं. 97 तारीख 1-7-67
8. अधिसूचना संख्या 5/15/65-बी (ए), तारीख 28-7-65
9. अधिसूचना संख्या 11/8/65-बी (ए), तारीख 9-9-1966 सा.का.नि.सं. 1464 तारीख 4-9-1966
10. अधिसूचना संख्या 5/3/67-बी (ए), तारीख 7-10-1967 सा.का.नि.सं. 1563 तारीख 21-10-67
11. अधिसूचना संख्या 20/2/67-बी (ए), तारीख 4-12-67 सा.का.नि.सं. 1856 तारीख 16-12-67
12. अधिसूचना संख्या 6/107/65-बी (ए), तारीख 3-7-67 सा.का.नि.सं. 1352 तारीख 20-7-68
13. अधिसूचना संख्या 11/5/68-बी (ए), तारीख 13-9-1968 सा.का.नि.सं. 1791 तारीख 28-9-68
14. अधिसूचना संख्या 7/5/68-बी (ए), तारीख 9-10-1968 सा.का.नि.सं. 1965 तारीख 2-11-1968
15. अधिसूचना संख्या 5/12/68-बी (ए), तारीख 9-10-68 सा.का.नि.सं. 2078 तारीख 20-11-68
16. अधिसूचना संख्या 8/12/68-बी (ए), तारीख 14-11-68 सा.का.नि.सं. 2079 तारीख 30-11-68
17. अधिसूचना संख्या 17/8/68-बी (ए), तारीख 6-6-1969 सा.का.नि.सं. 1473 तारीख 21-6-69
18. अधिसूचना संख्या 17/6/68-बी (ए), तारीख 4-6-1969
19. अधिसूचना संख्या 11/5/65-बी (ए), तारीख 2-9-69 सा.का.नि.सं. 2252 तारीख 21-9-69
20. अधिसूचना संख्या 17/2/69-बी (ए), तारीख 7-11-69 सा.का.नि.सं. 2885 तारीख 29-11-69
21. अधिसूचना संख्या 17/1/69-बी (ए), तारीख 23-2-1970 सा.का.नि.सं. 405 तारीख 7-3-70
22. अधिसूचना संख्या 17/3/69-बी (ए), तारीख 16-9-1970

23. अधिसूचना संख्या 1/2/70—बी (ए), तारीख 18—2—71 सा.का.नि.सं. 639 तारीख 20—3—1970

24. अधिसूचना संख्या 5/12/68—बी (ए), तारीख 22—3—1971 सा.का.नि.सं. 603 तारीख 24—4—1971

24ए.

25. अधिसूचना संख्या 1/2/71—बी (ए), तारीख 6—12—1971 सा.का.नि.सं. 51 तारीख 1—1—1972

26. अधिसूचना संख्या 1/2/71—बी (ए), तारीख 10—1—1972

27. अधिसूचना संख्या 1/3/70—बी (ए), तारीख 18—5—1972 सा.का.नि.सं.

28. अधिसूचना संख्या 1/9/71—बी (ए), तारीख 6—6—1972 सा.का.नि.सं. 818 तारीख 6—7—72

29. अधिसूचना संख्या 5/12/68—बी (ए), तारीख 13—6—72

30. अधिसूचना संख्या 1/6/71—बी (ए), तारीख 30—9—1972 सा.का.नि.सं. 1386 तारीख 4—9—72

31. अधिसूचना संख्या 1/6/70—बी (ए), तारीख 6—12—72 सा.का.नि.सं. 1602 तारीख 23—12—72

32. अधिसूचना संख्या 1/6/71—बी (ए), तारीख 30—9—1972

32ए. अधिसूचना संख्या 5/12/68—बी (ए), तारीख 3—5—72 सा.का.नि.सं. 820 तारीख 8—7—1972

33. अधिसूचना संख्या 5/39/71—टी.बी., तारीख 31—2—1973

34. अधिसूचना संख्या 1/4/73—बी (ए), तारीख 2—6—73 सा.का.नि.सं. 635 तारीख 16—6—73

35. अधिसूचना संख्या 1/10/71—बी (ए), तारीख 10—9—1973

36. अधिसूचना संख्या 1/2/73—बी (ए), तारीख 29—9—1973 सा.का.नि.सं. 1148 तारीख 20—10—1973

37. अधिसूचना संख्या 1/2/72—बी (ए), तारीख 26—10—1974 सा.का.नि.सं. 1196 तारीख 9—11—74

38. अधिसूचना संख्या 5/33/70—बी (ए), तारीख 30—10—74 सा.का.नि.सं. 1220 तारीख 16—11—1974

39. अधिसूचना संख्या 1/18/73—बी (ए), तारीख 18—10—74 सा.का.नि.सं. 195 तारीख 19—11—74

40. अधिसूचना संख्या 5/17/74—बी (ए), तारीख 13—2—1975 सा.का.नि.स. 267 तारीख 22—2—1975

41. अधिसूचना संख्या 5/66/73—टी.बी., तारीख 5—4—1975

42. अधिसूचना संख्या 1/1/71—बी (ए), तारीख 30—6—1975 सा.का.नि.सं. 895 तारीख 19—7—1975

43. अधिसूचना संख्या 1/3/75—बी (ए), तारीख 19—12—75 सा.का.नि.सं. 64 तारीख 10—1—1976

44. अधिसूचना संख्या 1/8/75—बी(ए), तारीख 20—2—1976 सा.का.नि.सं. 391 तारीख 13—3—1976

45. अधिसूचना संख्या 5/14/75—बी (ए), तारीख 23—3—1976

46. अधिसूचना संख्या 5/10/76—बी (ए), तारीख 7—5—76 सा.का.नि.सं. 786 तारीख 5—6—1976

47. अधिसूचना संख्या 1/1/73—बी(ए), तारीख 19—7—1976

48. अधिसूचना संख्या 12018/5/76-बी (ए), तारीख 16—8—1977 सा.का.नि.सं. 118 तारीख 10—9—1977

49. अधिसूचना संख्या 12019/7/77—बी (ए), तारीख 15—9—1977 सा.का.नि.सं. 1358 तारीख 8—9—1977

50. अधिसूचना संख्या 12018/5/76—बी(ए), तारीख 15—12—1977 सा.का.नि.सं. 3 तारीख 7—1—1978

51. अधिसूचना संख्या 12018/4/76—बी(ए), तारीख 20—2—1978

52. अधिसूचना संख्या 12018/5/76—बी (ए), तारीख 4—6—1978

53. अधिसूचना संख्या 12019/8/78—बी(ए), तारीख 26—12—1981 सा.का.नि.सं. 94 तारीख 10—1—79

54. अधिसूचना संख्या 12018/5/76-बी (ए), तारीख 18-4-78
55. अधिसूचना संख्या 12018/1/76-बी (ए), तारीख 18-7-80 सा. का. नि. सं. 1231 तारीख 29-11-80
56. अधिसूचना संख्या 12018/5/76-बी (ए), तारीख 1-11-80
57. अधिसूचना संख्या 12019/9/77-बी (ए), तारीख 9-1-1981
58. अधिसूचना संख्या 12024/13/76-बी (ए), तारीख 8-7-81 सा. का. नि. सं. 722 तारीख 1-8-81
59. अधिसूचना संख्या 12019/1/81-बी (ए), तारीख 26-9-81 सा. का. नि. सं. 939 तारीख 17-10-81
60. अधिसूचना संख्या 12018/1/81-बी (ए), तारीख 31-8-1981 सा. का. नि. सं. 869 तारीख 19-9-81
61. अधिसूचना संख्या 12018/4/81-बी(ए), तारीख 31-7-82 सा. का. नि. सं. 692 तारीख 11-8-82
62. अधिसूचना संख्या 12019/1/81-बी (ए), तारीख 1-6-83
63. अधिसूचना संख्या 19011/12/81-बी (ए), तारीख 11-8-83
64. अधिसूचना संख्या 45011/83/82-बी (ए), तारीख 23-10-84 सा. का. नि. सं. 739 (ए) तारीख 23-10-84
65. अधिसूचना संख्या 12019/2/84-बी(ए), तारीख 27-2-1985
66. अधिसूचना संख्या 12019/1/85-बी(ए), तारीख 29-1-87 सा. का. नि. सं. 69(अ) तारीख 29-1-87

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19th December, 1996

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio Group 'A' Recruitment (Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules, 1963, against serial No. 14 relating to the post of Deputy Director of Administration for the entries in column 12, the following shall be substituted namely :—

PROMOTION

"Inspector of Accounts (Pay) scale Rs. 2375-3500 in All India Radio/Doordarshan with 7 years regular service in grade failing which with 8 years combined regular service in the grades of Inspector of Accounts and Senior Administrative Officer (Pay scale Rs. 2000-3500) and failing both Senior Administrative Officer with 8 years regular service in the grade.

TRANSFER ON DEPUTATION

Officers under the Central/State Governments.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with atleast 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or

(iii) with atleast 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent;

AND

(b) having atleast 5 years experience in Administration, Establishment and Accounts matters.

The departmental officers in the feeder category who are the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)".

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Director of Administration	13* (1996) *Subject to variation dependent on workload. All India Radio : 6 Doordarshan : 7	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500	Selection	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and % of the vacancy to be filled by various methods.
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years	Promotion failing which by Transfer on deputation.

In case of Recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
PROMOTION: Inspector of Accounts (Pay scale Rs. 2375-3500) In all India Radio/Doordarshan with 7 years' regular Service in the grade failing which with 8 years' combined regular service in the grades of Inspector of Accounts and Senior Administrative Officer (Pay scale Rs. 2000-3500) and failing both Senior Administrative Officer with 8 years' regular service in the grade. TRANSFER ON DEPUTATION: Officers under the Central/State Governments. (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or; (ii) with atleast 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) with atleast 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent. AND (b) Having 5 years' experience in Administration. Establishment and Accounts matters. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion (period of deputation including period	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering Promotion): (1) Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman (2) Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting—Member (3) Director General, All India Raido—Member (4) Director General, Doordarshan—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

12
of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding these appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

[F. No. 32013/17/95-B(A)]
B. S. RAWAT, Under Secy.

Note: The Principal Rules called the All India Raido (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No. 24 dated 23-12-1963 subsequently the following amendments were notified:—

Notification No. 11/8/62-B(A), dated 9-6-1964
Notification No. 11/11/62-B(A), dated 18-06-64, G.S.R. No. 942 dated 27-06-64
Notification No. 5/24/62-B(A), dated 31-08-65, G.S.R. No. 1314 dated 11-09-65
Notification No. 11/2/64-B(A), dated 17-09-65, G.S.R. No. 1487 dated 09-10-65
Notification No. 11/2/64-B(A), dated 27-11-65, G.S.R. No. 1820 dated 11-12-65
Notification No. 13/78/62-B(A), dated 20-11-65, G.S.R. No. 1873 dated 25-12-65
Notification No. 11/8/64-B(A), dated 29-05-67, G.S.R. No. 974 dated 01-07-67
Notification No. 5/15/65-B(A), dated 28-07-65
Notification No. 11/8/65-B(A), dated 09-09-66, G.S.R. No. 1464 dated 04-09-66
Notification No. 5/3/67-B(A), dated 07-10-67, G.S.R. No. 1563 dated 21-10-67
Notification No. 20/2/67-B(A), dated 04-12-67, G.S.R. No. 1856 dated 16-12-67
Notification No. 6/107/65-B(A), dated 03-07-67, G.S.R. No. 1352 dated 20-07-68
Notification No. 11/5/65-B(A), dated 13-09-68, G.S.R. No. 1791 dated 28-09-68
Notification No. 7/5/68-B(A), dated 09-10-68, G.S.R. No. 1905 dated 02-11-68
Notification No. 5/12/68-B(A), dated 09-10-68, G.S.R. No. 2078 dated 20-11-68
Notification No. 8/12/68-B(A), dated 14-11-68, G.S.R. 2079 dated 30-11-68
Notification No. 17/8/68-B(A), dated 06-06-69, G.S.R. No. 1473 dated 21-06-69
Notification No. 17/6/68-B(A), dated 04-06-69, G.S.R. No.
Notification No. 11/5/65-B(A), dated 02-09-69, G.S.R. No. 2252 dated 21-09-69
Notification No. 17/2/69-B(A), dated 07-11-69, G.S.R. No. 2285 dated 29-11-69
Notification No. 17/1/69-B(A), dated 23-02-70, G.S.R. No. 405 dated 07-03-70
Notification No. 17/3/69-B(A), dated 16-09-70,
Notification No. 1/2/70-B(A), dated 18-02-71, G.S.R. No. 639 dated 20-03-70
Notification No. 5/12/68-B(A), dated 22-03-71, G.S.R. No. 603 dated 24-04-71
Notification No. 5/12/68-B(A), dated 03-05-72, G.S.R. No. 820 dated 08-07-72
Notification No. 1/2/71-B(A), dated 06-12-71, G.S.R. No. 51 dated 01-01-72
Notification No. 1/2/71-B(A), dated 10-01-72
Notification No. 1/3/70-B(A), dated 18-05-72,
Notification No. 1/9/71-B(A), dated 06-06-72, G.S.R. No. 818 dated 08-07-72
Notification No. 5/12/68-B(A), dated 13-06-72
Notification No. 1/6/71-B(A), dated 30-09-72, G.S.R. No. 1386 dated 04-09-72
Notification No. 1/6/70-B(A), dated 06-12-72, G.S.R. No. 1602 dated 23-12-72
Notification No. 5/39/71-B(A), dated 03-12-73
Notification No. 1/4/73-B(A), dated 02-06-73, G.S.R. No. 635 dated 16-06-73
Notification No. 1-10/71-B(A), dated 10-09-73
Notification No. 1/2/73 B(A) dated 29-09-73, G.S.R. No. 1148 dated 20-10-73
Notification No. 1/2/72-B(A), dated 26-10-74, G.S.R. No. 1196 dated 09-11-74
Notification No. 5/33/70-B(A), dated 30-10-74, G.S.R. No. 1220 dated 16-1174

Notification No. 1/18/73-B(A), dated 18-11-74, G.S.R. No. 1195 dated 19-11-74
Notification No. 5/17/74-B(A), dated 13-02M85, G.S.R. No. 267 dated 22-02-75
Notification No. 5/66/73-TV, dated 05-04-75
Notification No. 1/1/71-B(A), dated 30-06-75, G.S.R. No. 895 dated 19-07-75
Notification No. 1/3/75-B(A), dated 19-12-75, G.S.R. No. 64 dated 10-01-76
Notification No. 1/8/75-B(A), dated 20-02-76, G.S.R. No. 391 dated 13-03-76
Notification No. 5/14/75-B(A), dated 23-03-76
Notification No. 5/10/76-B(A), dated 07-05-76, G.S.R. No. 786 dated 05-06-76
Notification No. 1/1/73-B(A), dated 19-07-76
Notification No. 12019/5/76-B(A), dated 16-08-77, G.S.R. No. 118 dated 10-09-77
Notification No. 12019/7/77-B(A), dated 15-09-77, G.S.R. No. 1358 dated 08-09-77
Notification No. 12018/5/76-B(A), dated 15-12-77, G.S.R. No. 31 dated 07-01-78
Notification No. 12018/4/76-B(A), dated 20-02-78, G.S.R. No.
Notification No. 12018/5/76-B(A), dated 04-06-78, G.S.R. No.
Notification No. 12019/8/78-B(A), dated 26-12-78, G.S.R. No. 94 dated 20-01-79
Notification No. 12018/5/76-B(A), dated 18-04-78
Notification No. 12018/1/76-B(A), dated 18-07-80, G.S.R. No. 1231 dated 29-11-80
Notification No. 12018/5/76-B(A), dated 01-11-80
Notification No. 12019/9/77-B(A), dated 09-01-81
Notification No. 12024/13/76-B(A), dated 08-07-81, G.S.R. No. 722 dated 01-01-81
Notification No. 12019/1/81-B(A), dated 26-09-81, G.S.R. No. 989 dated 17-10-81
Notification No. 12018/1/81-B(A), dated 31-08-81, G.S.R. No. 859 dated 19-09-81
Notification No. 12018/4/76-B(A), dated 31-07-82, G.S.R. No. 692 dated 11-08-82
Notification No. 12019/1/81-B(A), dated 01-03-83, G.S.R. No.
Notification No. 19011/12/81-B(A), dated 11-08-83, G.S.R. No.
Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 23-10-84, G.S.R. No. 739(A) dated 23-10-84
Notification No. 12019/2/84-B(A), dated 27-02-85
Notification No. 12019/1/85-B(A), dated 29-01-87, G.S.R. No. 69(E) dated 29-01-87

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1996

सा.का.नि. 57—कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के दिनांक 4 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं. 26-2/94-फसल प्रशा.-3 द्वारा अधिसूचित तम्बाकू विकास निदेशालय (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली 1995 का नियम 1(1) जिसे दिनांक 4 जुलाई 1996 के भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3(i) में प्रकाशित किया गया, को अब इस प्रकार पढ़ा जायेगा:—

1. (1) इन नियमों को तम्बाकू विकास निदेशालय (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली 1996 कहा जायेगा।

2 उक्त नियमावली की अनुसूची में कालम 3 के अन्तर्गत 8(क) और 8(ख) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों को इस प्रकार पढ़ा जाये:—

8(क) "एक"*
(1996)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

8(ख) "एक"
(1996)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

[फा.सं. 26-2/94-फसल प्रशासन-III]
आर.डी. आर्य, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th December, 1996

G.S.R. 57.—The rule 1(1) of the Tambaku Vikas Nideshalaya (Directorate of Tobacco Development) (Group 'C' and Group 'D', posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995, notified vide the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) notification No. 26-2/94-CA. III, dated 4th July, 1996 published in the Gazette of India, part II, Section 3(i), dated 4th July, 1996 shall read as under :—

"1. (1) These rules may be called the Tambaku Vikas Nideshalaya (Directorate of Tobacco Development) (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1996."

2. In the schedule to the said rules existing entries under Column 3 against 8A & 8B may be read as under :—

8A. "One*
(1996)
*Subject to variation
dependent on workload".

8B. "One*
(1996)
*Subject to variation
dependent on workload."

[F. No. 26-2/94-CA.III]
R. D. ARYA, Under Secy.